

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 124/2021

दायर दिनांक: 19.07.2021

उनवान

1. अशोक कुमार उम्र 71 वर्ष पुत्र श्री हजारीलाल जाति महाजन निवासी कुंजेड तहसील अटरू जिला बारां राज० ।
2. प्रमोद कुमार उम्र 68 वर्ष पुत्र श्री हजारीलाल जाति महाजन निवासी कुंजेड तहसील अटरू जिला बारां राज० ।
3. सिद्धार्थ कुमार उम्र 64 वर्ष पुत्र श्री हजारीलाल जाति महाजन निवासी कुंजेड तहसील अटरू जिला बारां राज० ।
4. विनय कुमार उम्र 61 वर्ष पुत्र श्री हजारीलाल जाति महाजन निवासी कुंजेड तहसील अटरू जिला बारां राज० ।
5. अनुनय कुमार उम्र 51 वर्ष पुत्र श्री हजारीलाल जाति महाजन निवासी कुंजेड तहसील अटरू जिला बारां राज० ।

वादीगण

बनाम

1. रूपरानी पत्नि प्रधुम्न कुमार जाति महाजन निवासी कुंजेड तह० अटरू जिला बारां राज० ।
2. प्रियंक कुमार पुत्र प्रेम कुमार जाति महाजन निवासी कुंजेड तह० अटरू जिला बारां राज० ।
3. प्रियदर्शिनी पुत्री प्रेम कुमार जाति महाजन निवासी कुंजेड तह० अटरू जिला बारां राज० ।
4. अनिला पत्नि कैलाश कुमार जाति महाजन निवासी कुंजेड तह० अटरू जिला बारां राज० ।
5. राजस्थान सरकार जर्गे श्रीमान तहसीलदार साहब, तह० अटरू जिला बारां

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91,92 ए,188, 53 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :-

वादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल ।


प्रतिवादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्र प्रकाश योगी प्रति० कम० 1 ल 4



आदेश

दिनांक: 25/08/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए, 188, 53 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल कुंजेड तहसील अटरू जिला बारां में मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में आराजी खाता संख्या 12 के ख0नं0 1345 की 0.66 है0, ख0नं0 1346 की 0.02 है0, खं नं. 1347 की 0.39 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 1.07 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। इसी तरह से खाता संख्या 209 की ख0नं0 820 का रकबा 0.34 कुल किता 1 का रकबा 0.34 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। ग्राम एवं माल कुंजेड तहसील अटरू जिला बारां में मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2074-77 में आराजी खाता संख्या 204 ख0नं0 556 का रकबा 6.37 है0, ख0नं0 695 का रकबा 0.05 है0, ख0नं0 706 का रकबा 1.38 है0, ख0नं0 709 का रकबा 0.63 कुल किता 4 का रकबा 8.43 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। ग्राम एवं माल कुंजेड तहसील अटरू जिला बारां में मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2074-77 में आराजी खाता संख्या 212 की ख0नं0 711 रकबा 0.31 है0 ख0नं0 712 रकबा 1.47 है0 ख0नं0 719 का रकबा 1.35 है0, ख0नं0 720 का रकबा 0.11 है0, ख0नं0 749 का रकबा 0.23 है0, ख0नं0 751/1756 का रकबा 0.05 है0, ख0नं0 753 का रकबा 0.14 है0, ख0नं0 756 का रकबा 0.89 है0, ख0नं0 761 का रकबा 0.50 है0, ख0नं0 947/1605 का रकबा 0.30 है0, ख0नं0 952 का रकबा 1.00 है0, ख0नं0 961 का रकबा 2.06 है0, ख0नं0 962 का रकबा 0.02 है0 कुल किता 13 का रकबा 8.43 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। इसी प्रकार से खाता संख्या 23 की ख0नं0 218 का रकबा 2.08 है0, ख0नं0 235 का रकबा 3.00 है0, ख0नं0 245 का रकबा 3.68 है0, कुल किता 3 का रकबा 8.76 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 4 के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है-



प्रधुम्न कुमार
(मृतक पुत्र)
↓
रूपरानी (पत्नि)

प्रेम कुमार
(मृतक पुत्र)
↓
1. प्रियंक (पुत्र)
2. प्रियदर्शिनी (पुत्री)

कैलाश कुमार
(मृतक पुत्र)
↓
अनिला (पत्नि)

वाद पत्र की मद नं० 1, 2, 3 में वर्णित भूमि पैतृक भूमि थी। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 4 का जन्म से अधिकार है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 4 मृतक हजारीलाल के पुत्र, पुत्रवधू एवं पौत्र है। वादीगण के भाई प्रधुम्न कुमार, प्रेम कुमार एवं कैलाश कुमार का स्वर्गवास हो चुका है। इनके वारिसान प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 होने से इनको पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र की मद नं० 1 ता 3 में वर्णित भूमि पैतृक भूमि होने से तथा वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 की संयुक्त परिवार की भूमि होने से संयुक्त रूप से सहदायिकी संपत्ति होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण के प्रत्येक का इस भूमि में हिस्सा $1/8$, $1/8$ है तथा प्रतिवादीक्रम 1 एवं 4 का प्रत्येक का हिस्सा $1/8$, $1/8$ है तथा प्रतिवादी क्रम 2 व 3 का हिस्सा $1/8$ है। लेकिन भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्सेनुसार हिस्सा $1/8$, $1/8$ से कम या ज्यादा होने से तथा खाते में नाम नहीं होने से भविष्य में विवाद होने की संभावना होने से वादीगण प्रत्येक हिस्सा $1/8$, $1/8$ के तथा प्रतिवादी क्रम 2 व 3 हिस्सा $1/8$ के खातेदार कृषक घोषित होकर हिस्सेनुसार प्रत्येक बंटवारा कराकर राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से दिनांक 11.07.2021 को प्रत्येक के हिस्से $1/8$, $1/8$ के अनुसार खाते दर्ज करवाने एवं बंटवारा कराने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया। बिना सहायता न्यायालय वादीगण को अपने हिस्से अनुसार भूमि खाते दर्ज करवाने एवं बंटवारा कराया जाना संभव नहीं है। इसलिए माननीय न्यायालय में खातेदारी की घोषणा एवं बंटवारा हेतु वाद पेश है। प्रतिवादी क्रम 5 राजस्थान सरकार भूमि धारी होने एवं वाद घोषणा का होने से श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर वाद पेश किया गया है। राजस्थान सरकार को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस प्रेषित किया जाना आवश्यक है लेकिन नोटिस प्रेषित किया जाकर नोटिस की अवधि समाप्त होने का इन्तजार किया गया तो प्रतिवादीगण खाते में अपना नाम होने से भूमि को बेचान एवं रहन कर देंगे तो वादीगण को अनेकानेक विवादों में उलझना पड़ेगा। इसलिए मामला आवश्यक प्रकृति का होने से धारा 80 (2) सी.पी.सी. का पृथक से प्रार्थना पत्र

प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय की इजाजत से वाद प्रस्तुत है। वाद कारण प्रथम एवं अन्तिम बार दिनों 11.07.2021 को प्रतिवादीगण द्वारा हिस्सेनुसार भूमि को खाते दर्ज करवाकर बंटवारा करने से मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में बमुकाम उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम एवं माल कुंजेड तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्यायशुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में दावा पेश कर वादीगण निवेदन करते हैं कि डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की सादिर फरमाई जाए।

(अ) वाद पत्र की मद नं० 1 ता 3 में वर्णित आराजी भूमि में वादीगण को हिस्सा 1/8, 1/8 का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर तथा हिस्सेनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

(ब) वाद व्यय एवं अन्य अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादीगण 1 ता 4 द्वारा जवाबदावा मय प्रतिवाद पत्र पेश कर कथन किया गया कि वाद प्रतिवादी क्रम 1 ल 4 द्वारा जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र पेश कर कथन किया गया कि बिन्दु संख्या 1 ता 11 स्वीकार है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवाद पत्र में विशेष कथन किया गया कि प्रतिवादी क्रम 1 एवं 4 के पति का स्वर्गवास हा चूका है। ग्राम कुंजेड के माल में स्थित भूमि में प्रतिवादी क्रम 1 व 4 उनके हिस्से अनुसार खातेदार कृषक घोषित होकर हिस्से अनुसार बंटवारा कराकर पृथक खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादी क्रम 2 व 3 आपस में भाई बहिन है। प्रतिवादी क्रम 3 ने उसके हिस्से में आई भूमि उसके भाई प्रतिवादी क्रम 2 के पक्ष में हकत्याग कर दिया है। प्रतिवादी क्रम 2 को वाद पत्र की मद न० 1 ता 3 में वर्णित भूमि में से अच्छी व बुरी में से बुरी का बंटवारा करवाया जाकर पृथक खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है। यह कि वाद कारण दिनांक 19.07.2021 को वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद की सूचना मिलने पर बमुकाम उत्पन्न हुआ। यह कि प्रतिवाद पत्र उचित न्यायशुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः जवाबदावा मय प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि क्रम 1 व 4 को वाद पत्र की मद न० 1 ता 3 में वर्णित भूमि का हिस्से अनुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाकर तथा प्रतिवादी क्रम 3 द्वारा प्रतिवादी क्रम 2 के पक्ष में हकत्याग कर दिए जाने से वाद पत्र की मद न० 1 ता 3 वर्णित भूमि में प्रतिवाद क्रम 1 ता 4 का हिस्से अनुसार बंटवारा किया जाकर अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी पृथक से खाते दर्ज की जावे।

वकील वादीगण द्वारा बहस के दौरान मौखिक रूप से कथन किया कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के प्रतिवाद पत्र को स्वीकार ने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी क्रम 5 द्वारा जवाबदावा पेश नहीं करने के कारण बन्द किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया गया कि :-

यह कि वाकेया ग्राम एवं माल कुन्जेड तहसील अटरू जिला बारां में मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 में आराजी खाता संख्या 12 के खसरा न. 1345 का रकबा 0.66 है. एवं खसरा न. 1346 का रकबा 0.02 है. व खसरा न. 1347 का रकबा 0.39 है. कुल किता 3 का कुल रकबा 1.07 है. भूमि वादी क्रम 1 अशोक कुमार पुत्र हजारी लाल के दर्ज रिकार्ड है। इसी तरह से खाता संख्या 209 की खसरा न. 820 का रकबा 0.34 कुल किता 1 का रकबा 0.34 है. भूमि वादी क्रम 2 प्रमोद कुमार पुत्र हजारीलाल के दर्ज रिकार्ड है।

ग्राम एवं माल कुन्जेड तहसील अटरू जिला बारां में मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 में आराजी खाता संख्या सं० 212 की ख० नं० 711 रकबा 0.31 है०, ख० न० 712 का रकबा 1.47 है०, ख० नं० 719 का रकबा 1.35 है० ख० न० 720 का रकबा 0.11 है०, ख० न० 749 का रकबा 0.23 है०, ख० न० 751/1756 का रकबा 0.05 है०, ख० न० 753 का रकबा 0.14 है०, ख० न० 756 का रकबा 0.89 है०, ख० न० 761 का रकबा 0.50 है०, ख० न० 947/1605 का रकबा 0.30 है०, ख० न० 952 का रकबा 1.00 है०, ख० न० 961 का रकबा 2.06 है०, ख० न० 962 का रकबा 0.02 है०, कुल किता 13 का रकबा 8.43 है० भूमि प्रतिवादी क्रम 2 व 3 के दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी क्रम 3 द्वारा अपने हिस्से की भूमि अर्थात् कुल किता 13 कुल रकबा 8.43 है० में से 1/2 भाग अपने भाई (प्रतिवादी क्रम 2) के पक्ष में हकत्याग करना चाहती है जिसे वकील वादीगण द्वारा मौखिक जवाब से स्वीकार किया गया। अतः प्रतिवादी क्रम 3 का हकत्याग प्रतिवादी क्रम 2 के पक्ष में स्वीकार किया जाता है।

ग्राम एवं माल कुन्जेड तहसील अटरू जिला बारां में मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 में आराजी खात संख्या 204 खसरा न. 556 का रकबा 6.37 है., खसरा

न. 695 का रकबा 0.05 है., खसरा न. 706 का रकबा 1.38 है., खसरा न. 709 का रकबा 0.63 कुल किता 4 का रकबा 8.43 है. प्रतिवादी क्रम 1 के पति प्रद्युमन कुमार पुत्र हजारीलाल के दर्ज रिकार्ड है। प्रद्युमन कुमार पुत्र हजारीलाल फौत हो चुके हैं। प्रतिवादी क्रम 1 के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं ग्राम पंचायत कुंजेड द्वारा जारी वारिसान प्रमाण पत्र के आधार पर प्रतिवादी क्रम 1 प्रद्युमन कुमार के एकमात्र वारिस है। अतः हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 उक्त कृषि आराजी के खातेदार कृषक घोषित होने के हकदार है।

इसी प्रकार ग्राम एवं माल रामपुरिया में खाता संख्या 23 की ख0 न0 218 का रकबा 2.08 है0, ख0 न0 235 का रकबा 3.00 है0, ख0 न0 245 का रकबा 3.68 है0 कुल किता 3 का रकबा 8.76 है0 भूमि प्रतिवादी क्रम 4 के पति कैलाश कुमार पुत्र हजारीलाल के दर्ज रिकार्ड है। कैलाश कुमार पुत्र हजारीलाल फौत हो चुके हैं। प्रतिवादी क्रम 4 के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं ग्राम पंचायत कुंजेड द्वारा जारी वारिसान प्रमाण पत्र के आधार पर प्रतिवादी क्रम 4 कैलाश कुमार के एकमात्र वारिस है। अतः हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रतिवादी क्रम 4 उक्त कृषि आराजी के खातेदार कृषक घोषित होने के हकदार है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 एवं 4 खातेदार कृषक घोषित होकर बंटवारे अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने के अधिकारी है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से राजीनाम हुआ है—

वादीक्रम 1 अशोक कुमार के हिस्से, कब्जे एवं स्वामित्व में निम्न भूमि रहेगी—

खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
204	709	0.63 है0

1 किता रकबा 0.63 है0

खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
212	719	1.35 है0
	720	0.11 है0

2 किता रकबा 1.46 है0

खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
12	1345	0.66 है0
	1346	0.02 है0

1347

0.39 है०

3 किता रकबा 1.07 है०

वादी क्रम 2 प्रमोद कुमार के हिस्से कब्जे एवं स्वामित्व में निम्न भूमि रहेगी—

खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
212	711	0.31 है०
	712	1.47 है०

2 किता रकबा 1.78 है०

खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
209	820	0.34 है०

1 किता रकबा 0.34 है०

खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
204	706	1.38 है०

1 किता रकबा 1.38 है०

वादी क्रम 3 सिद्धार्थ कुमार के हिस्से कब्जे एवं स्वामित्व में निम्न भूमि रहेगी—

खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
212	761	0.50 है०

1 किता रकबा 0.50 है०

खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
25	235	3.00 है०

1 किता रकबा 3.00 है०

वादी क्रम 4 विनय कुमार के हिस्से कब्जे एवं स्वामित्व में निम्न भूमि रहेगी—

खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
204	556 (पश्चिम)	3.20 है०

1 किता रकबा 3.20 है०

वादी क्रम 5 अनुनय कुमार के हिस्से कब्जे एवं स्वामित्व में निम्न भूमि रहेगी—

खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
212	749	0.23 है०
	451 / 1756	0.05 है०

753	0.14 है०
756	0.89 है०

4 किता रकबा 1.31 है०

खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
25	218	2.08 है०

1 किता रकबा 2.08 है०

प्रतिवादी क्रम 1 **रूपरानी** के हिस्से कब्जे एवं स्वामित्व में निम्न भूमि रहेगी—

खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
204	556 (पूर्व)	3.17 है०
	696	0.05 है०

2 किता रकबा 3.22 है०

प्रतिवादी क्रम 2 **प्रियंक कुमार** के हिस्से कब्जे एवं स्वामित्व में निम्न भूमि रहेगी—

खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
212	947 / 1605	0.30 है०
	952	1.00 है०
	961	2.06 है०
	962	0.02 है०

4 किता रकबा 3.38 है०

प्रतिवादी क्रम 4 **अनिला** के हिस्से कब्जे एवं स्वामित्व में निम्न भूमि रहेगी—

खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
25	245	3.68 है०

1 किता रकबा 3.68 है०

अतः विवादित भूमि संयुक्त परिवार की संपत्ति होने के कारण आपसी सहमति से वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा के सभी बिन्दुओं को पढकर दौहराया गया जिसे वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया। उक्त पैतृक संपत्ति के बटवारे को लेकर भावी कानूनी विवादों व उलझनों से बचने के लिए वादीगण व

प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमति से प्रस्तुत बटवारा-राजीनामा स्वीकार किया जाता है। वादीगण की पहचान श्री भगवान मंगल एड0 तथा प्रतिवादीगण क्रम 1 ल 4 की पहचान श्री चद्र प्रकाश योगी द्वारा की गई।

अतः न्यायहित में आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार योग्य है।

-::क्रियात्मक आदेश::-

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम कुन्जेड की जमाबन्दी संवत 2074-2077 खाता संख्या 209 किता 1 रकबा 0.34 है0, ग्राम कुन्जेड की जमाबन्दी संवत 2074-2077 खाता संख्या 12 किता 3 रकबा 1.07 है0, ग्राम कुन्जेड की जमाबन्दी संवत 2074-2077 खाता संख्या 212 की कुल 13 किता रकबा 8.43 है0, भूमि ग्राम कुन्जेड की जमाबन्दी संवत 2074-2077 खाता सं0 204 की कुल 4 किता रकबा 8.43 है0, जमाबन्दी संवत 2074-2077 खाता संख्या 23 किता 3 रकबा 8.76 है0, ग्राम कुन्जेड की खाता संख्या 204 किता 4 रकबा 8.43 है0 तथा ग्राम रामपुरिया की खाता संख्या 23 किता 3 रकबा 8.76 है0- कुल किता 24 कुल रकबा 27.03 है0- आपसी सहमति के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 4 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादीगण एवं प्रति. क्र. 1 ल 4 के मध्य राजीनामा के आधार पर निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

वादीक्रम 1 अशोक कुमार के हिस्से, कब्जे एवं स्वामित्व में निम्न भूमि रहेगी-

	खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
<u>ग्राम कुंजेड</u>	204	709	0.63 है0
			1 किता रकबा 0.63 है0

	खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
<u>ग्राम कुंजेड</u>	212	719	1.35 है0
			720
			0.11 है0
			2 किता रकबा 1.46 है0

	खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
<u>ग्राम कुंजेड</u>	12	1345	0.66 है0

1346 0.02 है०

1347 0.39 है०

3 किता रकबा 1.07 है०

वादी क्रम 2 प्रमोद कुमार के हिस्से कब्जे एवं स्वामित्व में निम्न भूमि रहेगी—

खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
ग्राम कुंजेड 212	711	0.31 है०
	712	1.47 है०

2 किता रकबा 1.78 है०

खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
209	820	0.34 है०

1 किता रकबा 0.34 है०

खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
204	706	1.38 है०

1 किता रकबा 1.38 है०

वादी क्रम 3 सिद्धार्थ कुमार के हिस्से कब्जे एवं स्वामित्व में निम्न भूमि रहेगी—

खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
212	761	0.50 है०

1 किता रकबा 0.50 है०

खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
ग्राम रामपुरिया 25	235	3.00 है०

1 किता रकबा 3.00 है०

वादी क्रम 4 विनय कुमार के हिस्से कब्जे एवं स्वामित्व में निम्न भूमि रहेगी—

खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
204	556 (पश्चिम)	3.20 है०

1 किता रकबा 3.20 है०

वादी क्रम 5 अनुनय कुमार के हिस्से कब्जे एवं स्वामित्व में निम्न भूमि रहेगी—

खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
212	749	0.23 है०
	451 / 1756	0.05 है०
	753	0.14 है०
	756	0.89 है०

4 किता रकबा 1.31 है0

	खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
ग्राम रामपुरिया	25	218	2.08 है0

1 किता रकबा 2.08 है0

प्रतिवादी क्रम 1 **रूपरानी** के हिस्से कब्जे एवं स्वामित्व में निम्न भूमि रहेगी—

खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
204	556 (पूर्व)	3.17 है0
	695	0.05 है0

2 किता रकबा 3.22 है0

प्रतिवादी क्रम 2 **प्रियंक कुमार** के हिस्से कब्जे एवं स्वामित्व में निम्न भूमि रहेगी—

खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
212	947 / 1605	0.30 है0
	952	1.00 है0
	961	2.06 है0
	962	0.02 है0

4 किता रकबा 3.38 है0

प्रतिवादी क्रम 4 **अनिला** के हिस्से कब्जे एवं स्वामित्व में निम्न भूमि रहेगी—

	खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
ग्राम रामपुरिया	25	245	3.68 है0

1 किता रकबा 3.68 है0

तहसीलदार अटरू उक्त विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्ददाई
(ओ० 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज०)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज०.)

प्रकरण सं० 124/2021

उनवान

1. अशोक कुमार उम्र 71 वर्ष पुत्र श्री हजारीलाल जाति महाजन निवासी कुंजेड तहसील अटरू जिला बारां राज०।
2. प्रमोद कुमार उम्र 68 वर्ष पुत्र श्री हजारीलाल जाति महाजन निवासी कुंजेड तहसील अटरू जिला बारां राज०।
3. सिद्धार्थ कुमार उम्र 64 वर्ष पुत्र श्री हजारीलाल जाति महाजन निवासी कुंजेड तहसील अटरू जिला बारां राज०।
4. विनय कुमार उम्र 61 वर्ष पुत्र श्री हजारीलाल जाति महाजन निवासी कुंजेड तहसील अटरू जिला बारां राज०।
5. अनुनय कुमार उम्र 51 वर्ष पुत्र श्री हजारीलाल जाति महाजन निवासी कुंजेड तहसील अटरू जिला बारां राज०।

वादीगण

बनाम

1. रूपरानी पत्नि प्रधुमन कुमार जाति महाजन निवासी कुंजेड तह० अटरू जिला बारां राज०।
2. प्रियंक कुमार पुत्र प्रेम कुमार जाति महाजन निवासी कुंजेड तह० अटरू जिला बारां राज०।
3. प्रियदर्शिनी पुत्री प्रेम कुमार जाति महाजन निवासी कुंजेड तह० अटरू जिला बारां राज०।
4. अनिला पत्नि कैलाश कुमार जाति महाजन निवासी कुंजेड तह० अटरू जिला बारां राज०।
5. राजस्थान सरकार जयें श्रीमान तहसीलदार साहब, तह० अटरू जिला बारां

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91,92 ए,188, 53 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनईX..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :-

वादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

प्रतिवादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्र प्रकाश योगी प्रति० क्रम० 1 ल 4

मिनजानित मुदई रूबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम कुंजेड की जमाबन्दी संवत 2074-2077 खाता संख्या 209 किता 1 रकबा 0.34 है०, ग्राम कुंजेड की जमाबन्दी संवत 2074-2077 खाता संख्या 12 किता 3 रकबा 1.07 है०, ग्राम कुंजेड की जमाबन्दी संवत 2074-2077 खाता संख्या 212 की कुल 13 किता रकबा 8.43 है०, भूमि ग्राम कुंजेड की जमाबन्दी संवत 2074-2077 खाता सं० 204 की कुल 4 किता रकबा 8.43 है०, जमाबन्दी संवत 2074-2077 खाता संख्या 23 किता 3 रकबा 8.76 है०, ग्राम कुंजेड की खाता संख्या 204 किता 4 रकबा 8.43 है० तथा ग्राम रामपुरिया की खाता संख्या 23 किता 3 रकबा 8.76 है०- कुल किता 24 कुल रकबा 27.03 है०- आपसी सहमति के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 4 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादीगण एवं प्रति. क्र. 1 ल 4 के मध्य राजीनामा के आधार पर निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

वादीक्रम 1 अशोक कुमार के हिस्से, कब्जे एवं स्वामित्व में निम्न भूमि रहेगी-

खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
ग्राम कुंजेड	204	709
		0.63 है०
		1 किता रकबा 0.63 है०

	खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
ग्राम कुंजेड	212	719	1.35 है०
		720	0.11 है०

2 किता रकबा 1.46 है०

	खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
ग्राम कुंजेड	12	1345	0.66 है०
		1346	0.02 है०
		1347	0.39 है०

3 किता रकबा 1.07 है०

वादी क्रम 2 प्रमोद कुमार के हिस्से कब्जे एवं स्वामित्व में निम्न भूमि रहेगी—

	खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
ग्राम कुंजेड	212	711	0.31 है०
		712	1.47 है०

2 किता रकबा 1.78 है०

	खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
	209	820	0.34 है०

1 किता रकबा 0.34 है०

	खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
	204	706	1.38 है०

1 किता रकबा 1.38 है०

वादी क्रम 3 सिद्धार्थ कुमार के हिस्से कब्जे एवं स्वामित्व में निम्न भूमि रहेगी—

	खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
	212	761	0.50 है०

1 किता रकबा 0.50 है०

	खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
ग्राम रामपुरिया	25	235	3.00 है०

1 किता रकबा 3.00 है०

वादी क्रम 4 विनय कुमार के हिस्से कब्जे एवं स्वामित्व में निम्न भूमि रहेगी—

	खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
	204	556 (पश्चिम)	3.20 है०

1 किता रकबा 3.20 है०

वादी क्रम 5 अनुनय कुमार के हिस्से कब्जे एवं स्वामित्व में निम्न भूमि रहेगी—

	खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
	212	749	0.23 है०
		451/1756	0.05 है०
		753	0.14 है०
		756	0.89 है०

4 किता रकबा 1.31 है0

खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
ग्राम रामपुरिया	25	218
		2.08 है0

1 किता रकबा 2.08 है0

प्रतिवादी क्रम 1 **रूपरानी** के हिस्से कब्जे एवं स्वामित्व में निम्न भूमि रहेगी-

खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
204	556 (पूर्व)	3.17 है0
	695	0.05 है0

2 किता रकबा 3.22 है0

प्रतिवादी क्रम 2 **प्रियंक कुमार** के हिस्से कब्जे एवं स्वामित्व में निम्न भूमि रहेगी-

खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
212	947 / 1605	0.30 है0
	952	1.00 है0
	961	2.06 है0
	962	0.02 है0

4 किता रकबा 3.38 है0

प्रतिवादी क्रम 4 **अनिला** के हिस्से कब्जे एवं स्वामित्व में निम्न भूमि रहेगी-

खाता संख्या	खसरा न.	रकबा
ग्राम रामपुरिया	25	245
		3.68 है0

1 किता रकबा 3.68 है0

तहसीलदार अटरू उक्त विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करुंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 25.08.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)